प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2019 को आयोजित अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही:—

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2019 को अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक विभागीय सभाकक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/मुख्य अभियंता, बुडको/अधीक्षण अभियंता, बुडको/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि/पटना नगर निगम के सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी एवं अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारी शरीफ एवं दानापुर तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे :—

2.1 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को अवगत कराया गया कि दिनांक 20.05.2019 को माननीय विभागीय मंत्री के स्तर पर आयोजित बैठक में संभावित पेयजल संकट के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि सभी निकायों में प्रत्येक 02 वार्ड पर 01 वाटर टैंकर उपलब्ध कराने हेतु स्टेनलेस स्टील के बड़े आकार के टैंकर निकाय द्वारा उपलब्ध राशि से नियमानुसार क्रय किया जाएगा। प्रमंडलीय मुख्यालय में 02 अतिरिक्त वाटर टैंकर क्रय किया जाएगा। गणना के क्रम में नगर निकाय के पास उपलब्ध वाटर टैंकर की संख्या को घटा दिया जाएगा। इस हेतु नगर निकायों को राशि की आवश्यकता होने पर राज्य योजना से राशि आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि उक्त के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

2.2 पटना जलापूर्ति योजना में 13 वाटर टॉवर एवं नेटवर्क का कार्य पटना नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि 04 वाटर टॉवर एवं नेटवर्क के कार्य का कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है तथा शेष 09 वाटर टॉवर एवं नेटवर्क का कार्य आदर्श आचार संहिता के समाप्ति के पश्चात संवेदक का चयन कर कार्यादेश निर्गत कर दिया जाएगा।

2.3 पटना नगर निगम क्षेत्र में ADB संपोषित जलापूर्ति योजना कार्यान्वित किया जाना है। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि इस योजना के लिए आवश्यक भूमि को चिन्हित कर संबंधित से NOC प्राप्त कर लिया जाय ताकि योजना के कार्यान्वयन में कठिनाई नहीं हो और योजना ससमय पूर्ण हो सके।

2.4 पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में पेयजल कनेक्शन हेतु विभाग स्तर से योजना की स्वीकृति दी गयी है। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि इस कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाय।

2.5 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर पर रोड कटिंग के कार्य हेतु पॉलिसी निर्धारण के लिए एक कमिटी गठित करें, जिसमें पथ निर्माण विभाग के अभियंता, बुडको के अभियंता, GAIL के प्रतिनिधि एवं Optical Fiber कंपनी के प्रतिनिधि को रखा जाय। इस कमिटी द्वारा एक सप्ताह में पॉलिसी निर्धारित करके अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

2.6 कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बाईपास में NHAI द्वारा "चड्डा एंड चड्डा" एजेंसी के माध्यम से नाला का निर्माण किया जा

रहा है, जिसका निर्माण कार्य काफी समय पूर्व से हो रहा है और कार्य वर्तमान में बंद है तथा निर्माण के क्रम में पूर्व के नाला के अधिकाँश क्षेत्र को जाम कर दिया गया है, जिसके कारण नाला का बहाव कम हो गया है, फलस्वरूप आगामी मॉनसून में कंकड़बाग क्षेत्र में भीषण जलजमाव की स्थिति हो जाएगी।

इस संबंध में बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय। यदि NHAI द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण कराने में कहीं कठिनाई है तो इससे नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रतिवेदित किया जाय।

3. बुडको से संबंधित मुद्दे :–

3.1 पटना जलापूर्ति योजना में 05 अर्द्धनिर्मित वाटर टॉवर एवं नेटवर्क की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और राशि भी आवंटित की जा चुकी है।

प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया जाता है कि उक्त योजना को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

3.2 पटना नगर निगम क्षेत्र में ADB संपोषित जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन के संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया जाता है कि वे इस हेतु पटना नगर निगम से समन्वय स्थापित कर डी०पी०आर० शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

3.3 मुख्य अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि बुडको द्वारा कार्यान्वित विभागीय महत्वपूर्ण योजनाएं यथा ISBT, बेउर से मीठापुर ड्रेनेज योजना, नालों के उपर पक्कीकरण कार्य, पटना जलापूर्ति योजना के 05 योजनाओं के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाय और इसका नियमित अनुश्रवण एवं समन्वय सुनिश्चित किया जाय।

3.4 श्री जितेन्द्र शाही, कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा ISBT निर्माण के कार्यान्वयन के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि कार्य में विलंब के लिए संवेदक एजेंसी से स्पष्टीकरण पूछा गया है। कार्य में विलंब होने के लिए दंड के रूप में एजेंसी से राशि की कटौती के संबंध में पृच्छा करने पर इनके द्वारा बताया गया कि दंड स्वरूप राशि की कटौती अभी तक नहीं की गयी है। इनके द्वारा कहा गया कि कार्य में विलंब के लिए संवेदक से एकरारनामा के अनुसार दंड की राशि की कटौती सुनिश्चित की जाएगी।

इन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि ISBT निर्माण कार्य की प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुतिकरण कराया जाय, जिसमें बुडको के अभियंता भी उपस्थित रहेंगे। यह भी निर्देश दिया गया कि यदि संवेदक की गलती नहीं है तो किसकी गलती है, स्पष्ट किया जाय।

प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया जाता है कि ISBT के निर्माण कार्य में हुए विलंब के कारण को स्पष्ट करते हुए detail report 02 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

3.5 पिछले माह में बाँसघाट विद्युत शवदाहगृह के रखरखाव से संबंधित एजेंसी द्वारा उन्हें बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण शवदाहगृह के संचालन कार्य को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण आम नागरिकों को काफी कठिनाईयों को सामना करना पड़ा था। जानकारी प्राप्त हुई थी कि पटना नगर निगम द्वारा इस हेतु बुडको को राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण संबंधित एजेंसी को भुगतान नहीं हो पाया था। प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया जाता है कि राशि के अभाव के कारण शवदाहगृह के संचालन का कार्य बंद नहीं हो, इसे भविष्य में सुनिश्चित करेंगे। पटना नगर निगम भी ससमय राशि उपलब्ध करा दिया करे।

4. <u>पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

4.1 पिछली बैठक में कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया था कि पटना शहर के पथों के किनारे फ्लैंक के निर्माण का प्रावधान किया गया है और निविदा में फ्लैंक निर्माण हेतु समयसीमा 01 वर्ष निर्धारित है।

इस संबंध में बैठक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि शहर में फ्लैंक के निर्माण की गति अत्यंत ही धीमी है और इसमें कोई प्रगति परिलक्षित नहीं है।

बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण करें। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा भी निर्देश दिये गये हैं और मुख्य सचिव के स्तर पर इस कार्य की शीघ्र समीक्षा भी की जाएगी।

4.2 पिछली बैठक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा कहा गया था कि पटना शहर के सभी फ्लाईओवरों के नीचे की जगह को पटना नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाय ताकि उत्कृष्ट तरीके से साफ–सफाई तथा पेंटिंग आदि कार्य कराया जा सके और शहर का सौंदर्यीकरण हो सके।

बैठक में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।

4.3 नगर आयुंक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि शहर के कई पथों में रोड कटिंग करके टेलीकॉम कंपनियों द्वारा केबल लगाया जा रहा है और अधिकांश जगहों पर पथों की खुदाई करके लंबी अवधि तक छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है।

इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देश दिया गया कि चूँकि टेलीकॉम कंपनियों को रोड कटिंग हेतु अनापत्ति पथ निर्माण विभाग द्वारा दिया जाता है, अतः वे अनापत्ति में इसे अंकित करेंगे कि टेलीकॉम कंपनी के संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व पटना नगर निगम से समन्वय करेंगे।

यदि संबंधित टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रोड कटिंग के कार्य में पटना नगर निगम से समन्वय नहीं किया जाता है तो पटना नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वे कार्य को रोक दें।

उक्त के संबंध में विभाग स्तर से पथ निर्माण विभाग एवं पटना नगर निगम को पत्र भेजा जाय, जिसमें यह भी अंकित किया जाय कि पथों की खुदाई कार्य का एक निश्चित मानक लंबाई निर्धारित करें तथा उस लंबाई तक खुदाई कार्य का restoration हो जाने के बाद ही आगे खुदाई का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

4.4 पिछली बैठक में कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया था कि BMP रोड में 300 मीटर तक, बाबा चौक नाला एवं आनंदपुरी नाला का cover करके पक्कीकरण का कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा कुर्जी नाला के cover का कार्य BSRDC द्वारा किया जा रहा है।

निर्देश दिया गया था कि नालों के cover के कार्य में नालों की सफाई के लिए पर्याप्त मेनहोल की व्यवस्था प्राक्कलन में किया जाय तथा पटना नगर निगम के अभियंता से समन्वय करके इसके डिजाईन का निर्माण किया जाय ताकि नालों की सुगमतापूर्वक सफाई की व्यवस्था हो सके।

बैठक में बिहार राज्य पथ विकास निगम के अभियंता के उपस्थित नहीं रहने के कारण इस संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। अगली बैठक में बिहार राज्य पथ विकास निगम के अभियंता को भी बैठक में बुलाने का निर्देश दिया गया।

5. **बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से संबंधित मुद्दे :–**

5.1 बैठक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मीठापुर बस स्टैण्ड रोड में फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें डायवर्जन में पक्का रोड का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य काफी समय पूर्व से हो रहा है। डायवर्जन का निर्माण समुचित क्षेत्र में नहीं होने के कारण हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है।

इस संबंध में विभाग स्तर से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को पत्र भेजा जाय कि बिहार राज्य पथ विकास निगम एव बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पटना शहर में निर्माण कराये जा रहे फ्लाईओवरों के पास ट्रैफिक प्लान की व्यवस्था के संबंध में प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग एवं अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में प्रस्तुतिकरण कराया जाय।

6. **ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे :–**

6.1 पटना शहर में 5 कोर केबल एरियल बंच लगाया जाना था, जिसमें 01 कोर केबल की व्यवस्था स्ट्रीट लाईट के उपयोग के लिए की गयी थी। इस संबंध में महाप्रबंधक, PESU द्वारा बताया गया कि राज्य में पटना सहित कई शहरों के मुख्य पथों में 05 कोर केबल एरियंल बंच लगा दिया गया है, जिसमें पटना शहर में लक्षित 700 कि०मी० के विरूद्ध लगभग 400 कि०मी० में कार्य पूर्ण हो गया है।

इन्हें निर्देश दिया गया कि पटना सहित राज्य के सभी शहरों के संबंधित route plan की विवरणी नगर विकास एवं आवास विभाग अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

विभाग स्तर से राज्य के सभी शहरों में स्ट्रीट लाईट के शीघ्र अधिष्ठापन हेतु EESL को पत्र भेजा जाय।

6.2 SBPDCL के प्रतिनिधि से यह पृच्छा किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में स्ट्रीट लाईट का टैरिफ Domestic Tariff से अधिक है।

चूँकि स्ट्रीट लाईट का उपयोग नागरिक सुविधा के लिए किया जा रहा है, अतः इसका टैरिफ Domestic Tariff से कम होना चाहिए। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ऊर्जा विभाग, SBPDCL, NBPDCL को पत्र भेजा जाय।

6.3 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि नगर निगम स्तर पर electric tariff के re-assessment हेतु SBPDCL के अभियंता के साथ कमिटि गठित की गयी है, जिसके प्रतिवेदन के आलोक में स्ट्रीट लाईट के tariff के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

7. **बिहार राज्य आवास बोर्ड से संबंधित मुद्दे :–**

7.1 पिछली बैठक में सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड को निर्देश दिया गया था कि आवास बोर्ड की कॉलोनियों में बोर्ड द्वारा निर्मित नाले को सफाई हेतु पटना नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाय तथा बोर्ड के commercial plots का e-auction शीघ्र कराया जाय।

बैठक में बिहार राज्य आवास बोर्ड से किसी पदाधिकारी के उपस्थित नहीं रहने के कारण अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि बैठक में अनिवार्य रूप से किसी पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे।

8. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर को निर्देश दिया गया कि दीघा में शवदाहगृह के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय। बुडको द्वारा उक्त शवदाहगृह के निर्माण हेतु डी०पी०आर० तैयार किया जाएगा।

इस संबंध में विभाग स्तर से संबंधितों को दिशानिर्देश भेजा जाय।

9. दानापुर जलापूर्ति योजना का आंशिक कार्य बुडको द्वारा किया गया है तथा वर्तमान में दानापुर के सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति योजना का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि योजना के निमित्त आवश्यक जमीन अंचलाधिकारी द्वारा नहीं दी जा रही है, जबकि उनसे इस हेतु कई बार वार्ता भी की गयी है। इन्हें निर्देश दिया गया कि जलापूर्ति योजना हेतु जमीन की उपलब्धता में कठिनाई हो तो जिला पदाधिकारी से समन्वय सुनिश्चित करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

23/5/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2590 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 24/5/19

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2590 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 24/5/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंधक निदेशक, ब्रेडा (ई०मेल–breda@breda.in)/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड/महाप्रबंधक, एन०बी०सी०सी०, पटना/NHAI, Patna (email-ropatna@nhai.org)/पटना नगर निगम के सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर एवं फुलवारी शरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2590 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 24/5/19

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/उप सचिव/अभियंत्रण कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी–2/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/2019

प्रधान सचिव